S.T. No. - 54/2022

Witness No. .....01..... for.....अभियोजन..... Deposition taken the -------14-03-2024--- day of....गुरूवार..... Witness's apparent age ... 47 वर्ष.. States on affirmation ---शपथपूर्वक-- my name is .....पुष्पा साहू S/D/W of --...पति श्री जीवनलाल साहू.....occupation.....गृहणी Address ....ग्राम अर्जुनी, थाना गुण्डरदेही, जिला–बालोद(छ0ग0)

दिनांक 14.03.2024 :–

टीप :– साक्षी का मुख्य परीक्षण दिनांक 15.02.2024 को पूर्ण किया जाकर आदेश पत्रिका में लिखे कारणो से साक्षी का प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया था। साक्षी आज दिनांक 14.03.2024 को समंस तामिल बाद उपस्थित है, उसे पुनः शपथ दिलाकर प्रतिपरीक्षण आरंभ किया गया।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री डी.के. साहू, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त महेन्द्र साहू व खुशहाल साहू//

12/ यह कहना सही है कि मेरे पति के बेहोश होने की जानकारी मिलने पर मैं मौके पर गई थी। यह कहना सही है कि मैं जब पहुंची तब भी मेरे पति बेहोशी की हालत में थे। यह कहना सही है कि मैं और मेरा पुत्र मेरे पति को रात्रि 09:30 बजे गुण्डरदेही के सरकारी अस्पताल में लेकर गये थे। मैं गुण्डरदेही अस्पताल में लगभग दो घंटा तक रूकी थी। यह कहना सही है कि गुण्डरदेही के डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अपने पति को उच्च ईलाज हेतु दूसरे अस्पताल ले जाओ।

13/ यह कहना सही है कि जब मैं थाना गई थी तब उस समय मेरे पति का ईलाज शुरू हो गया था। यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखी हूं।

14/ यह कहना सही है कि अभियुक्तगण के साथ मेरे पति का जमीन विवाद

चले आ रहा है। यह कहना सही है कि मैं अभियुक्तगण के विरूद्ध पहले भी खेत के विवाद को लेकर रिपोर्ट की थी। साक्षी स्वतः कहती है कि खेत में गाली गलौच करने के संबंध में रिपोर्ट की थी। यह कहना गलत है कि उक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

15/ अभियुक्तगण और हमारे बीच बंटवारा का केस सन् 2019 से चला आ रहा है।

16/ यह कहना गलत है कि मेरे पति को अस्पताल में देखने अभियुक्तगण भी आये थे। साक्षी स्वतः कहती है कि वे अस्पताल देखने आये थे कि मेरे पति मर गया है या जिन्दा है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मेरा जमीन का विवाद है इसलिए मैं उन्हे झूठा फंसान के लिए सही बात को नहीं बता रही हूं।

17/ यह कहना गलत है कि जब मेरे पति को चोंट आयी थी उस समय वह अत्यधिक शराब पीया था। यह कहना गलत है कि वह नशे में होने के कारण चल फिर नहीं सक रहा था। यह कहना गलत है कि मेरे पति को शराब के नशे में गिरने से चोंट आयी थी।

18/ यह कहना गलत है कि मैं कोटवार के बताये अनुसार रिपोर्ट लिखाई हूं। यह कहना सही है कि कोटवार मेरे साथ रिपोर्ट लिखाने गया था। साक्षी स्वतः कहती है कि जैसी घटना देखी हूं वैसी रिपोर्ट लिखाई हूं।

19/ यह कहना गलत है कि पटवारी मेरे समक्ष नक्शा नहीं बनाये है। यह कहना सही है कि जहां मेरा पति गिर हुआ था उसी स्थान का पटवारी नक्शा बनाया था। साक्षी स्वतः कहती है कि घटना स्थल राजूलाल यादव के घर के सामने का है।

20/ यह कहना सही है कि जिस दिन मैं रिपोर्ट लिखाई हूं उस दिन पुलिस वाले मेरे बयान नहीं लिखे थे। पुलिस वाले मेरे बयान अस्पताल से आने के बाद लिये थे। मेरे पति ईलाज हेतु अस्पताल में लगभग 16–17 दिन भर्ती थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरा बयान घटना के 04–05 माह बाद लिये है।

21 / यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से हम लोगों का जमीन संबंधी विवाद है इसलिए मैं अपने पति, अपने पुत्र के साथ मिलकर अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा मामला बनवाये है। यह कहना गलत है कि मेरे पति शराब पीने का आदी है। साक्षी स्वतः कहती है कि कभी–कभी पीता है।

22 / यह कहना गलत है कि मैं आज सही बात को नहीं बता रही हूं।

गवाह को पढकर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया गया।

सही
(श्रीमती सरोज नंद दास)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालोद
जिला बालोद (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही
(श्रीमती सरोज नंद दास)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालोद
जिला बालोद (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर